[2019] 2 एस. सी. आर 916

माणिक कुटुम

बनाम

जूली कुटुम

2019 की आपराधिक अपील संख्या 448

07 मार्च, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा -125-भरण-पोषण-प्रतिवादी (पत्नी) द्वारा अपने और अपनी नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण के लिए दायर आवेदन-निचली अदालत ने दावे को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया आदेश दिया। अपनी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के 2000/- हर माह का आदेश दिया . लेकिन इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह प्रतिवादी से संबंधित है कि वह अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया-उच्च न्यायालय ने आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को निचली अदालत में भेज दिया-पति की अपील पर, अभिनिर्धारित किया:उच्च न्यायालय ने मामले को नई जांच के लिए और प्रतिवादी (पत्नी) के लिए भरण-पोषण तय करने के लिए निचली अदालत को भेजने में गलती की-मामले को निचली अदालत को भेजने की आवश्यकता केवल तभी होती है जब मामले में शामिल किसी भी तथ्यात्मक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होती है जो पुनरीक्षण चरण में नहीं की जा सकती है या जब यह देखा जाता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए किसी विशेष तथ्यात्मक मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं है या जब

पहली बार अपीलीय/पुनरीक्षण चरण में अतिरिक्त साक्ष्य दायर किया जाता है, जिसके लिए निचली अदालत द्वारा पहली बार जांच की आवश्यकता होती है और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के आलोक में एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है-ऐसा मामला यहां नहीं था क्योंकि रखरखाव तय करने के लिए सभी सामग्री रिकॉर्ड पर थी-अपीलकर्ता कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था।उस का वेतन 30000-35000 था । इस लिये 8000 पत्नी के लिये निर्धारित किया तथा बेटी के लिये 2000 निर्धारित किये ।यानि की कुल 10000 रु महीने का आदेश दिया।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **1.** उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थी-पत्नी अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, फिर उसे किसी भी जांच के लिए मामले को एस. डी. जे. एम. को नहीं भेजना चाहिए था और इसके बजाय अपीलार्थी (पति) द्वारा प्रत्यर्थी (पत्नी) को देय भरण-पोषण को संशोधन में ही तय करना चाहिए था।अधिक इसलिए कि प्रतिवादी कमाई नहीं कर रहा था और उसके पास खुद को बनाए रखने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था।**[**पैरा **11]**

**2.** एस. डी. जे. एम. को मामले को वापस भेजने की आवश्यकता केवल तभी होती है जब मामले में शामिल किसी भी तथ्यात्मक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होती है, जिसे पुनरीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता है या जब यह देखा जाता है कि एस. डी. जे. एम. द्वारा दर्ज किसी विशेष तथ्यात्मक मुद्दे (मुद्दों) पर कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है या जब अपीलीय/पुनरीक्षण चरण में पहली बार अतिरिक्त साक्ष्य दायर किया जाता है, जिसके लिए एस. डी. जे. एम. द्वारा पहली बार जांच की आवश्यकता होती है और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के आलोक में एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है। यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि भरण-पोषण को निर्धारित करने के लिए सभी सामग्री रिकॉर्ड में थी।इन कारणों से, मामले को एस. डी. एम. जे. को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह केवल प्रतिवादी (पत्नी) को नुकसान

पहुंचाने वाले मुकदमे को बढ़ाएगा।अपीलार्थी आर. पी. एफ. में सिपाही के रूप में काम कर रहा है। उनका मासिक वेतन रुपये **30,000/-** से रुपये **35,000/-** प्रति माह के बीच है।अपीलार्थी (पति) द्वारा प्रत्यर्थी (पत्नी) को देय मासिक भरण-पोषण के रूप में **8,000/-** रुपये तय करना उचित और उचित है।अपीलार्थी (पति) प्रत्यर्थी (पत्नी) को हर महीने कुल **1,0000/-** रुपये का भुगतान करेगा, यानी प्रत्यर्थी (पत्नी) के भरण-पोषण के लिए **8,000/-** रुपये और नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए **2,000/-** रुपये जो पहले से ही एस. डी. जे. एम. द्वारा तय किया गया है और जिसे न्यायसंगत और उचित माना जाता है।**[पैरा 12-15] (919-**

2012 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 102 में गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 01.08.2017 निर्णय और आदेश से।

सुश्री सीमा शर्मा, सोमिरन शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।साहिल टागोत्रा, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. अनुमति दे दी गई।

2. यह अपील गुवाहाटी में 01-08-2017 गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2012 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका 102 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए, असम के गोसाईगांव में उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस. डी. एम. जे.) के दिनांकित आदेश को अलग कर दिया।मामला No.28/2009 और प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को एस. डी. एम. जे. को भेज दिया।

3. इस अपील के निपटारे के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. अपीलार्थी पति है और प्रत्यर्थी पत्नी है।प्रत्यर्थी (पत्नी) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें अपीलार्थी (पति) से अपने और अपनी नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण का दावा किया गया था।

5. दिनांक 21.11.2011 के आदेश द्वारा, एस. डी. जे. एम. ने आंशिक रूप से आवेदन की अनुमति दी और उसकी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए प्रति माह रुपये 2000 प्रदान किया, लेकिन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह प्रतिवादी-पत्नी को भरण-पोषण के अधिनिर्णय से संबंधित है कि वह यहाँ अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। यह इस आदेश के खिलाफ है, प्रतिवादी-पत्नी ने व्यथित महसूस किया और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया।

6. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को एस. डी. जे. एम. को भेज दिया।मामले को एस. डी. जे. एम. को भेजने के विवादित आदेश का अंतिम भाग इस प्रकार हैः

"विद्वान न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।प्रतिवादी (गलत मामले में याचिकाकर्ता) को वर्तमान याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी घोषित करने और केवल आय के बिंदु पर उचित साक्ष्य दर्ज करके भरण-पोषण की मात्रा तय करने और इस अदालत का आदेश प्राप्त करने के तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के साथ-साथ नाबालिग बच्चे को नए सिरे से उचित भरण-पोषण देने के लिए मामले को विद्वान निचली अदालत में भेज दिया जाता है।इस बीच याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि जब तक अदालत मामले का नए सिरे से फैसला नहीं लेती, तब तक वह बच्चे के लिए सभी बकाया भरण-पोषण का भुगतान करे, जो कि विद्वान निचली अदालत द्वारा पहले दिया गया था।"

7. यह इस आदेश के खिलाफ है, अपीलार्थी (पति) ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

8. अपीलार्थी की विद्वान वकील सुश्री सीमा शर्मा और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री साहिल टागोत्रा को सुना।

9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम विवादित आदेश को संशोधित करने और अपीलार्थी (पति) द्वारा प्रतिवादी (पत्नी) को देय भरण-पोषण को निर्धारित करने के लिए इच्छुक हैं, इसके अलावा जो एस. डी. जे. एम. द्वारा नाबालिग बेटी के लिए देय पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

10. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से जांच के लिए एस. डी. जे. एम. को भेजने और प्रतिवादी (पत्नी) के लिए भरण-पोषण तय करने में गलती की।

11. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैरा 22 में तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थी-पत्नी अपीलार्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, फिर उसे किसी भी जांच के लिए मामले को एस. डी. जे. एम. को नहीं भेजना चाहिए था और इसके बजाय अपीलार्थी (पति) द्वारा प्रत्यर्थी (पत्नी) को देय भरण-पोषण को संशोधन में ही तय करना चाहिए था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पाते हैं कि प्रतिवादी कमाई नहीं कर रहा है और उसके पास खुद को बनाए रखने के लिए किसी भी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।

12. हमारे विचार में, मामले को एस. डी. जे. एम. को वापस भेजने की आवश्यकता केवल तभी होती है जब मामले में शामिल किसी भी तथ्यात्मक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होती है, जिसे संशोधन चरण में नहीं किया जा सकता है या जब यह देखा जाता है कि एस. डी. जे. एम. द्वारा दर्ज किसी विशेष तथ्यात्मक मुद्दे (मुद्दों) पर कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है या जब अपीलीय/संशोधन चरण में पहली बार अतिरिक्त साक्ष्य दायर किया जाता

है, जिसके लिए एस. डी. जे. एम. द्वारा पहली बार जांच की आवश्यकता होती है और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के आलोक में एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है।यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि रखरखाव को ठीक करने के लिए सभी सामग्री रिकॉर्ड में थी।इन कारणों से, हमारा विचार है कि मामले को एस. डी. एम. जे. को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह केवल प्रतिवादी (पत्नी) को नुकसान पहुंचाने वाले मुकदमे को बढ़ाएगा।

13. हालाँकि, हम अभिलेख से पाते हैं कि अपीलार्थी आर. पी. एफ. में सिपाही के रूप में काम कर रहा है। उनका मासिक वेतन रुपये 30,000/- से रुपये 35,000/- प्रति माह के बीच है।

14. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम 8,000/- रुपये (रु. आठ हजार) अपीलार्थी (पति) द्वारा प्रत्यर्थी (पत्नी) को देय मासिक भरण पोषण।

15. दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी (पति) प्रत्यर्थी (पत्नी) को हर महीने कुल रुपये 10,000/- (दस हजार) का भुगतान करेगा, यानी प्रत्यर्थी (पत्नी) के लिए भरण-पोषण के लिए 8,000/- रुपये और नाबालिग बेटी के लिए भरण-पोषण के लिए 2,000/- रुपये जो पहले से ही एस. डी. जे. एम. द्वारा तय किया गया है और जिसे हम न्यायसंगत और उचित मानते हैं।

16. अपीलार्थी 01.03.2019 से हर महीने की 1 तारीख को प्रत्यर्थी (पत्नी) को नियमित रूप से रुपये 10,000/- की राशि का भुगतान करेगा।

17. प्रतिवादी (पत्नी) के पक्ष में विवादित आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ, अपील इस प्रकार निपटाई जाती है।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।